

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रेमराम परमार, आर.ए.एस.

1- अपील संख्या 01/2016

1. रहमत पत्नी सुलतान खां

2. हुसना

3. हुसैन खां पि0 सुलतान खां

4. बशीरा

5. जन्नत बानो

6. जूनस अली

7. नसीमा

जाति मुसलमान निवासीगण सरदारगढ
तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर।

— अपीलांट्स

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सूरतगढ।

— रेस्पोंडेन्ट

2- अपील संख्या 96/2016

1. रहमत पत्नी सुलतान खां

2. हुसना

3. हुसैन खां पि0 सुलतान खां

4. बशीरा

5. जन्नत बानो

6. जूनस अली

7. नसीमा

जाति मुसलमान निवासीगण सरदारगढ
तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर।

जरिये मु.आम. हरीराम पुत्र चानणराम

जाति ब्राह्मण निवासी सरदारगढ तहसील

सूरतगढ।

— अपीलांट्स

बनाम

1. कश्मीरसिंह पुत्र इन्द्रसिंह (मृतक)

1/1 बलवीर कौर पत्नी कश्मीर सिंह


1/2 सतनाम सिंह पुत्र कश्मीर सिंह

1/3 बलजीत सिंह पुत्र कश्मीर सिंह

1/4 सुखविन्द्र कौर पुत्री कश्मीर सिंह

1/5 भूपेन्द्र कौर पुत्री कश्मीर सिंह

जाति रायसिख निवासीगण सादकवाला
तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर।



राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)



2. सुरजीत सिंह
 3. गुरमीत सिंह
 4. जसविन्द्र सिंह
 5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सूरतगढ।
- पि0 इन्द्रसिंह जाति रायसिख निवासी सादकवाला तहसील
सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर।
—रेस्पोंडेन्टस

अपील अर्न्तगत धारा 75 राज. भू. रा. अधि. 1956

विरुद्ध आदेश क्रमशः सहायक उपनिवेशन आयुक्त एवं उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ, आदेश दिनांक क्रमशः 28.02.1984 व 30.11.2015

उपस्थिति:-

श्री अशोक छाबडा, अभिभाषक अपीलांत

श्री दलवीर सिंह अभिभाषक रेस्पों. अपील सं. 96/2016

श्री श्यामसुन्दर चाण्डक, राजकीय अधिवक्ता

निर्णय


दिनांक :- 13.11.2017

अपील सं. 01/2016 अपीलांत द्वारा आवंटन अधिकारी एवं सहायक
आयुक्त उपनिवेशन सूरतगढ के आदेश दिनांक 28.02.1984 के विरुद्ध प्रस्तुत की
है। उक्त आदेश के द्वारा अपीलांत सं. 1 व 2 से 7 के पिता सुलतान खां को
आवंटित भूमि चक 2 एस.पी.डी. के प.नं. 85/326 की 14.17 बीघा भूमि की
किशतों की राशि जमा नहीं करवाने से आवंटन निरस्त किया गया।

अपीलांत द्वारा अपील सं. 96/2016 उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ के आदेश
दिनांक 30.11.2015 के विरुद्ध प्रस्तुत की है। उक्त आदेश के द्वारा राज. उपनि.
(इ.गा.नं.प. क्षेत्र में सरकारी भूमि का आवंटन एवं विक्रय) नियम 1975 के नियम
21क के तहत प्रार्थीगण/रेस्पों. द्वारा रेस्पों. प्रा.पत्र स्वीकार कर चक 2 एस.पी.डी.
के प.नं. 85/326 की 3.757 है० भूमि का नियमन करने का आदेश दिया गया है।

दोनों ही प्रकरणों में विवादित भूमि एक होने से एवं उभयपक्ष द्वारा एक
साथ बहस किये जाने से दोनों अपीलों का निर्णय एक साथ किया जा रहा है।
निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली में शामिल की जावे।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई।




राजस्थान अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में कथन किया कि विवादित भूमि सुलतान खां को आवंटित हुई थी जिसकी किशतों की राशि उसके द्वार जमा करवायी गई थी। विवादित भूमि सुलतान खां ने रेस्पों. को हिस्सा ठेका पर दी थी। सुलतान खां की मृत्यु के पश्चात रेस्पों. ने हिस्सा ठेका देने से इन्कार कर दिया और विवादित भूमि का आवंटन किशतों के अभाव में खारिज करवा लिया एवं अपना कब्जा दिखाते हुए भूमि का नियमन का प्रा.पत्र देकर नियमन करवा लिया। अपीलाधीन आदेश अपीलांट को बिना सुने पारित किया गया है। अपीलाधीन आदेश की जानकारी होने पर, नकल प्राप्त कर बिना किसी देरी के अपीलें पेश कर दी जिसके लिये मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रा.पत्र मय शपथ पत्र पेश किया। अतः अपीलें पेश करने में हुए विलम्ब को माफ करते हुए अपीलें अन्दर मियाद शुमार की जाकर अपीलें स्वीकार की जावे। अपील सं. 96/2016 में अपील पेश करने की अनुमति बाबत अपीलांट ने धारा 96 सीपीसी का प्रा.पत्र पेश किया है जो स्वीकार कर अपील पेश करने की अनुमति प्रदान की जावे। अपने कथनों के समर्थन में वकील अपीलांट ने आर.बी.जे. 2001 पेज 133, आर.एल. डब्ल्यू. 2010 पेज 174, आर.आर.डी. 1994 पेज 291, आर.आर.सी. 2001 पेज 114, आर.आर.डी. 2004 पेज 607 की नजीरें पेश की।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि विवादित भूमि की किशतों की राशि जमा नहीं करवाने पर दिनांक 28.02.1984 को आवंटन खारिज कर दिया एवं रकबा राज होने पर रेस्पों. का कब्जा होने पर उनके द्वारा नियमन का प्रा.पत्र अधी. न्यायालय में पेश किया जो अधी. न्यायालय द्वारा स्वीकार किया गया जिसमें कोई त्रुटि नहीं है। अतः दोनों अपीलें खारिज की जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पों. 96/2016 ने अपनी बहस में कथन किया कि विवादित भूमि रेस्पों. के कब्जा काशत में थी। नियमन का प्रा.पत्र रेस्पों. द्वारा पेश किया गया जिस पर तहसीलदार से रिपोर्ट मंगवाकर पत्रावली आवंटन सलाहकार समिति के समक्ष रखी गई। आवंटन सलाहकार समिति द्वारा नियमन करने के आदेश दिये गये हैं जो उचित है। अतः अपीलें खारिज की जावे।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया।


13/11/17




अपील सं. 96/2016 में अपीलांट द्वारा अपील पेश करने की अनुमति बाबत प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी पेश कर जो तथ्य अंकित किये हैं उन्हें दृष्टिगत रखते हुए प्रा.पत्र स्वीकार कर अपील पेश करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अपीलें कमशः आदेश दिनांक 28.02.1984 के विरुद्ध 04.01.2016 को एवं आदेश दिनांक 30.11.2015 के विरुद्ध 21.04.2016 को प्रस्तुत की हैं जिसके लिये मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रा.पत्र मय शपथ पत्र पेश कर जो तथ्य अंकित किये हैं उनमें से अपील सं. 1/2016 आदेश दिनांक 28.02.1984 के विरुद्ध दिनांक 04.01.2016 को 32 वर्ष बाद पेश की है। देरी बाबत समुचित कारण प्रतीत नहीं होने से यह अपील मियाद बाहर है। अपील सं. 96/2016 में मियाद के बिन्दु पर जो तथ्य अपीलांट ने प्रा.पत्र दफा 5 में अंकित किये हैं उनका खण्डन रेस्पों. द्वारा प्रत्युत्तर मय शपथ पत्र पेश कर नहीं किया है। ऐसी स्थिति में अपील सं. 96/2016 पेश करने में हुए विलम्ब को माफ करते हुए अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

अपील सं. 01/2016 रहमत आदि बनाम राजस्थान सरकार निर्णित आवंटन अधिकारी एवं ए.सी.सी. सूरतगढ दिनांक 28.02.1984 व अपील सं. 96/2016 रहमत आदि बनाम कश्मीरसिंह निर्णित आवंटन अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ दिनांक 30.11.2015 एक दूसरे की पूरक होने से एक साथ निर्णय किया जाता है। प्रथम अपील सं. 01/2016 में अपीलांट को तहसील सूरतगढ के चक 2 एस.पी.डी. के प.नं. 85/326 का 14.17 बीघा आवंटित भूमि खारिज की है जिसे बहाली का अनुतोष चाहा, अपील सं. 96/2016 में यही विवादित आराजी रेस्पों. को आवंटन की है जिसे निरस्त करने का अनुतोष चाहा है।

अधी. न्यायालय की पत्रावलियों का अवलोकन किया। अपीलांट के पूर्वज सुलतान को आवंटित विवादित आराजी को खारिज करने से पूर्व आवंटन अधिकारी ने नोटिस जारी किया एवं उसकी प्रति पत्रावली पर उपलब्ध है तथा अधी. न्यायालय द्वारा आवंटन खारिजी का स्पीकिंग आदेश जारी किया है जिसकी


राजस्थान अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

इबारत है कि "आज पत्रावली पेश हुई। बाकीदार बावजूद सूचना अनुपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि उपनिवेशन तहसीलदार, मु. सूरतगढ ने रिपोर्ट की है कि श्री सुलतान पुत्र श्री सरदार मुसलमान साकिन सरदागढ को चक नं 2 एस.एच.पी.डी. 14.17 बीघा रकबा पुख्ता आवंटन है जिसके खिलाफ किशतों की राशि बकाया है। बाकीदार को पटवारी द्वारा एवं तहसील द्वारा काफी ताकीद करने के पश्चात भी राशि खजाना राज जमा नहीं करवायी। अतः प्रार्थी का रकबा खारिज योग्य है। तहसील से रिपोर्ट प्राप्त होने पर बाकीदार को इस कार्यालय द्वारा भी नोटिस जारी किया जो विधिवत तामील हो चुका है। फिर भी बाकीदार आज अनुपस्थित है। इससे यह जाहिर है कि वह बकाया किशतों की राशि खजाना राज जमा कराने का इच्छुक नहीं है। अतः बाकीदार के नाम से उक्त चक में आवंटित रकबा एतद् द्वारा खारिज किया जाता है। खारिजशुदा रकबे पर तुरन्त कब्जा बहक सरकार लेकर तुरन्त राजस्व अभिलेख में रकबा राज दर्ज करने हेतु लिखा जावे। "

प्रथमतः यह आदेश विधिवत जारी होना तथा आदेश के 32 वर्ष बाद अपील करना तथा अपील के साथ मियाद अधि. 1963 की धारा 5 का delay condone किये जाने के प्रा. पत्र में विलम्ब का कारण इस न्यायालय को संतुष्ट नहीं करता। अतः तकनीकी एवं गुणावगुण दोनों ही आधारों पर अपील खारिज योग्य होकर खारिज की जाती है।

दूसरी अपील में कोई सारभूत तथ्य नहीं है। क्योंकि विवादित आराजी अपीलांट से खारिज होकर रकबा राज होने से रेस्पों. को विधिवत आवंटित होने से यह अपील भी खारिज योग्य होकर खारिज की जाती है। इस प्रकार दोनों ही अपीलें खारिज की जाती हैं।

निर्णय आज दिनांक 13.11.2017 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रेमराम परमार)

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगगांनगर